बउनवान ..... बनाम .....

धारा ..... मुकदमा नं. ..... ऑनलाईन नं. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.11.2025	बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर गम्भीरता से विचार किया गया तथा पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी को ग्राम ख्यावदा तह0 पीपल्दा के पुराने खसरा नं0 531/4/1125 की 15 बीघा भूमि दिनांक 26.06.1976 को आवंटित हुई थी जिसके हाल ख0नं0 1066 रकबा 2.15है0 बनना पाया है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को आंवटित भूमि 15 बीघा से बाद बन्दोवस्त नया ख0नं0 1066 पैमूद करते समय 0.25है0 कम दर्ज किया गया। जब प्रार्थी अपने खसरा नं0 पर काबिज है ही तब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता ही नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न ही करने से अपूर्णीय क्षति कारित होना भी संभावित नहीं है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	